संख्या- 29/2018/सा-3-1073/दस-2018-909/1987

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
ण्उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष,
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

2- निदेशक, पेंशन निदेशालय,
8वॉ तल इन्दिरा भवन,
लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 14 दिसम्बर, 2018

विषय - लापता सरकारी सेवकों को मृत मानते हुए उनके परिवारों को उनके सेवानिवृत्तिक लाभों तथा अन्य अवशेषों का भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या सा-3-जी0आई0 88/दस-909/87 दिनांक 20 मार्च, 1987 के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या 09/2017/सा-3-120/दस-2017-909/1987 दिनांक 13 अप्रैल 2017 का क़पया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 13 अप्रैल, 2017 के प्रस्तर-4 में लापता सरकारी सेवक की **भविष्य निधि में उपलब्ध धनराशि** का भुगतान उसके परिवार को किये जाने का उल्लेख होने से छूट गया है।

3- अतः शासनादेश दिनांक 13 अप्रैल, 2017 के प्रस्तर-4 को निम्नवत् पढ़ा जाए-

"इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई सरकारी सेवक/पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर लापता हो जाता है तो उसके लापता होने की रिपोर्ट उसके परिवार द्वारा पुलिस में दिये जाने तथा पुलिस से यह रिपोर्ट प्राप्त होने पर कि समस्त प्रयासों के उपरान्त भी लापता सरकारी सेवक/पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का पता नहीं चल सका, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की छः माह की अवधि के उपरान्त, उसके अवशेष वेतन, पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी/अवकाश नकदीकरण/ **भविष्य निधि में उपलब्ध धनराशि** का भुगतान शासनदेश दिनांक 20 मार्च, 1987 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित औपचारिकताओं को पूर्ण करने पर किया जा सकता है।"

shasanadesh.up.nic.in

4- शासनादेश दिनांक 13 अप्रैल, 2017 पूर्वगामी तिथि से उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये तथा शेष सभी शर्तें एवं व्यवस्था यथावत रहेंगी।

भवदीय,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-29/2018/सा-3-1073(1)/दस'2018-909/1987

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. श्री राज्यपाल सचिव, उत्तर प्रदेश।
2. सचिव, विधान सभा/विधान परिषद उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)- 2 उ0प्र0 प्रयागराज व महालेखाकार (ऑडिट) उ0 प्र0 प्रयागराज।
4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी को इस संदर्भ के साथ कि इस शासनादेश की प्रतिलिपि अपने कार्यालय व तहसील के कार्यालय के सूचना पटल पर लगा दें।
5- निदेशक कोषागार, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, पेंशन निदेशालय, 8वॉं तल, इन्दिराभवन, लखनऊ।
7- निदेशक, वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरानगर, लखनऊ।
8- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10- मुख्य लेखाधिकारी, पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज एवं सचिवालय (इरला चेक) अनुभाग।
11- सूचना निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ को प्रचारार्थ।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

shasanadesh.up.nic.in